उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

(आई.एस.ओ.9001:2015,14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)
म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन कृमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9 /12/1977

GSTIN-23AAAAU0051C1ZB PAN No. AAAAU0051C

श्रमिक / सर्विस प्रोवाईडर ठेका कार्य हेतु द्वितीय ई–निविदा आमंत्रण

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा उच्च कुशल,/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर प्रदाय करने हेतु द्वितीय ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं वित्तीय रूप से सक्षम) निविदाकार इस कार्य के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते है। श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर ठेकेदार की नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तीथि एवं समय	दिनांक 23.07.2025 को www.mptenders.gov.in से रू.1000/– के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2.	ई–निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 12.08.2025 समय 12:00 बजे तक
3.	ई–निविदा ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 13.08.2025 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू. 5,00,000/– (राशि रू. पांच लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकार को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर निविदा प्रपत्र में श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर ठेकेदार कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई–निविदा प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर निविदा प्रपत्र रू 1000/– ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर ठेकेदार नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर ठेकेदार की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सुरक्षा ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक–एक वर्ष कर कुल दो वर्ष हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन प्रपत्र मुल्य रू.1000.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर ठेका कार्य हेतु निविदा प्रपत्र
वर्ष 2025–28

श्रमिक / सर्विस प्रोवाईडर ठेका कार्य हेतु द्वितीय ई–निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 23.07.2025 को www.mptenders.gov.in से समय 12:00 बजे से
2	ई–निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 12.08.2025 समय 12:00 बजे तक
3	तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 13.08.2025 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली बयाना (ई.एम.डी.) राशि	**रू. 5,00,000 / – (पांच लाख मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से**
5	श्रमिक ठेका कार्य हेतु ''आवश्यक अर्हताऐं'' का प्रारूप	प्रपत्र 01
6	श्रमिक ठेका कार्य की सामान्य शर्ते	प्रपत्र 02
7	''भाव पत्र / दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 03

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- **निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्केन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।**
- **निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेंजों की मूल प्रति उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में उज्जैन दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।**
- **निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु संपर्क अधिकारीः–**

निशांत गर्ग, प्रभारी (प्रशासन)
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र. 456010
फोन नं.–0734–2527068, 2527062, E-Mail ID-usdsadm@gmail.com

प्रपत्र क्र.1

आवश्यक अर्हताऐं

प्रति,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
उज्जैन।

महोदय,

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर ठेका कार्य हेतु दिनांक............. को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित द्वितीय ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)		निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप/एकल स्वामित्व) अंकित करे।
1.1	एकल स्वामित्व / भागीदारी) कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
1.2	(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) के स्थापना पंजीयन की प्रति।		तदाशय के स्थापना की प्रति व पार्टनरशिप (फर्म/कम्पनी) होने की स्थिति में पार्टनरशीप डीड की प्रति संलग्न करें।
1.3	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप/एकल स्वामित्व) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.4	निविदाकार का श्रमिक ठेका संबंधी जीवित/वैध लायसेंस क्रमांक		श्रम विभाग का पत्र/प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
1.5	निविदाकार का जीएसटी नम्बर		जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
1.6	कर्मचारी भविष्य निधि कोड नम्बर		कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।
1.7	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नम्बर		कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय

			का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।
1.8	निविदाकार (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व) का जीएसटी होना अनिवार्य हैं।		तदाशय के जीएसटी नंबर की प्रति संलग्न करें।
1.9	वित्तीय वर्ष 2021—22, 2022—23, 2023—24 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं।		तदाशय का चार्टड अंकाउटेंट से सत्यापित वित्तीय पत्रक, Profit & Loss A/c की प्रति एवं ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी ए / 3 सी बी जो भी लागू हो) एवं 3 सी डी।
1.10	प्रतिष्ठित औद्योगिक / वाणिज्यक संस्था में गत् 03 वित्तीय वर्ष 2021—22, 2022—23, 2023—24 में ठेके पर श्रमिक / सर्विस प्रोवाईडर प्रदाय किये हो तथा वित्तीय वर्ष 2023—24 में न्यूनतम 400 श्रमिक प्रदाय किये हो। (संस्था का नाम व पता जहां श्रमिक प्रदाय किये गये हैं।)		नियोक्ता के कार्यादेश की प्रति एवं अनुभव का प्रमाण पत्र।
1.11	वित्तीय वर्ष 2021—22, 2022—23, 2023—24 का आयकर रिटर्न दाखिल होना आवश्यक हैं।		तदाशय के आयकर रिर्टन की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
1.12	भविष्य निधि अंशदान शत—प्रतिशत जमा होने का प्रमाण पत्र।		वित्तीय वर्ष 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 में जमा कराए गए ई.पी.एफ. राशि के चालानों की छायाप्रति।
1.13	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत—प्रतिशत जमा होने का प्रमाण पत्र		वित्तीय वर्ष 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 में जमा कराए गए ई.एस. आई. राशि के चालानों की छायाप्रति।
1.14	म.प्र. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 के अंतर्गत फर्म / संस्था का पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिये।		म.प्र. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र (नवीनीकृत) संलग्न किया जावे।
1.15	कारखाना एवं श्रम विभाग / न्यायालय / पुलिस थाने में दर्ज किसी आपराधिक प्रकरण के तारतम्य में सक्षम न्यायालय में पेश चालान / चार्जशीट में दोषी नही पाए जाने का शपथ पत्र		नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू. 100 / — के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)। शपथ पत्र का प्रारूप प्रदर्श 02 पर अवलोकन करें।
1.16	क्या निविदाकार का उज्जैन शहर में कार्यालय हैं।		यदि हां, तो पूर्ण विवरण देवे।
1.17	क्या आपकी संस्था उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी हैं अथवा कर रही हैं।		यदि हां, तो पूर्ण विवरण देवे।
1.18	क्या आपकी संस्था एमपीसीडीएफ / इंदौर / भोपाल / ग्वालियर / बुंदेलखण्ड / जबलपुर सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टेक्स / जी.एस.टी. का कोई विवाद तो पंजीकृत / विचाराधीन नही हैं।		नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू. 100 / — के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)। शपथ पत्र का प्रारूप प्रदर्श 03 पर अवलोकन करें।
1.19	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया हैं।		यदि हां, तो पूर्ण विवरण देवे।

1.20	क्या किसी शासकीय संस्था / एम.पी.सी.डी. एफ. / दुग्ध संघ द्वारा पूर्व के तीन वित्तीय वर्ष (2022—23, 2023—24, 2024—25) में काली सूची में नामांकित किया गया हैं।		काली सूची में नामांकित नही किया गया हैं, इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू.100 / — के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)। शपथ पत्र का प्रारूप प्रदर्श 04 पर अवलोकन करें।
1.21	बयाना राशि (ई.एम.डी.)		निर्धारित अनुसार राशि रू.5,00,000 / — (रूपये पांच लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करायी गयी।
1.22	म.प्र. राज्य में स्थित उद्यमी एम.एस. एम.ई का सर्टिफिकेट संलग्न करें।		तदाशय के एम.एस.एम.ई के सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें। केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी।

नोट :— (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को **स्वप्रमाणित प्रतियॉ ऑनलाईन रूप से स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य है।**

(2) उपरोक्त दस्तावेजो में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाए अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर —————————————

नाम :— —————————————

पता :—————————————

—————————————

—————————————

टेलीफोन नं.—————————————

मोबाईल नं —————————————

श्रमिक/सर्विस प्रोवाईडर ठेका कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते :–

1. निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी प्लांट/दुग्ध शीतकेन्द्रों में प्रतिदिन निविदा प्रपत्र के प्रदर्श क्रमांक 05 में दर्शाएं गए श्रमिकों की संख्या के अनुसार श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा। कार्य की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की संख्या समय–समय पर अनुबंध अवधि में घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। सफल निविदाकार द्वारा सर्विस प्रोवाईडर/लिपिकीय/तकनिकी वर्ग/उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डो व लिपिकीय सेवाकर्मी एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत् प्रदाय किये जाना होगे। सर्विस प्रोवाईडर/लिपिकीय अमले को दुग्ध संघ द्वारा जो भी कार्य आवंटित किया जाता हैं यदि उनके द्वारा कर्तव्य के दौरान क्षति या हानि होती हैं तो उसकी भरपाई ठेकेदार/निविदाकार से की जाएगी। इसलिए सर्विस प्रोवाईडर/श्रमिक से ठेकेदार को शपथ पत्र लेकर रखना अनिवार्य होगा।
2. सफल निविदाकार को प्रबंधन की आवश्यकता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होगे। अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी दुग्ध शीतकेन्द्रों द्वारा ठेकेदार को यथासमय सूचना दी जाएगी। ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिक की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित नही हो। आवश्यकता होने पर श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी ठेकेदार को सुनिश्चित करनी होगी। यदि आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की व्यवस्था व प्रशिक्षण कराने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता हैं तो उससे होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार के देय भुगतान से वसूल की जाएगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जाएगी।
3. श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु नियोजित श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो, 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए।
4. प्रबंध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षा कर्मियों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं तो उनकी कार्यअवधि प्रातः 6:00 बजे से सायं 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला सुरक्षाकर्मी को कार्य पर नही रखा जावेगा।
5. केवल म.प्र. राज्य के MSME उद्यमियों को ईएमडी राशि के भुगतान से छूट रहेगी इस हेतु MSME उद्यमियों को उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बीड के साथ अपलोड किया जाना होगा। अन्य राज्यों के MSME उद्यमियों को ईएमडी राशि में छूट की पात्रता नही होगी।
6. बिना ईएमडी राशि के प्रस्तुत ई–निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। ईएमडी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा निविदा अस्वीकृत होने पर ई–निविदा के नियमों के तहत ईएमडी राशि वापसी योग्य होगी।
7. सुरक्षा निधि राशि–निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार (सुरक्षा ठेकेदार) को बतौर सुरक्षा निधि राशि रू.50,00,000/–(अक्षरी पचास लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पक्ष में देय होगा दुग्ध संघ में जमा करना होगा अथवा आरटीजीएस के माध्यम से दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज दुग्ध संघ द्वारा नही दिया जाएगा। ई.एम.डी. राशि का सुरक्षा निधि राशि में समायोजन किया जाएगा।
8. निविदा खुलने के पश्चात एवं निविदा की दर वैधता की अवधि में निविदाकार द्वारा निविदा में संशोधन किए जाने पर जो कि दुग्ध संघ को स्वीकार नही हैं। ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जाएगी।
9. सुरक्षा निधि राशि ठेका समाप्त होने के पश्चात श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र के समस्त शाखाओं, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत् रहे समस्त ठेका श्रमिकों का सम्पूर्ण ईपीएफ अंशदान, ईएसआई

अंशदान एवं जीएसटी राशि विधिवत आदि देय राशि पूर्ण रूप से जमा होने का प्रमाण दिए जाने पर ही वापस की जावेगी।

10. उक्त के अतिरिक्त दुग्ध संघ से लेनदारी–देनदारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को दिए जाने के पश्चात ही उसकी दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि वापसी योग्य होगी।
11. निविदाकार के संबंध में दुग्ध संघ प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता हैं कि वह कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिए गए संदर्भ के परिपेक्ष्य में संबंधित निकायों/विभागों/उपक्रमों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती हैं जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छिपाने का प्रयास किया है तो उसका ठेका अनुबंध अवधि में किसी भी समय समाप्त किया जाएगा जो कि सफल निविदाकार (श्रमिक ठेकेदार) पर पूर्ण रूप से बंधनकारी होगा।
12. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, दुग्ध संघों/एमपीसीडीएफ के संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को श्रमिक ठेका प्रदान नही किया जाएगा। एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अथवा उस पर निर्भर परिवार के सदस्य निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नही हैं।
13. यदि किसी निविदाकार द्वारा वित्तीय बिड में शून्य प्रतिशत सर्विस चार्ज अंकित किया जाता हैं तो ऐसे निविदाकार की निविदा पर विचार नही किया जावेगा। **(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञाप क्र.29 (1) 2014–पी.पी.डी./दिनांक 28.01.2014 के अनुसार)** एवं निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
14. यदि सफल निविदाकार (श्रमिक ठेकेदार) का मुख्यालय उज्जैन शहर के अतिरिक्त अन्य कही हैं तो श्रमिक ठेका कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस के अंदर उसे उज्जैन शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता दुग्ध संघ को देना होगा ताकि प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सकें। अन्यथा की स्थिति में उसकी निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
15. प्रत्येक पाली में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को सम्पूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक हैं जिससे कार्य सुचारू रूप से सपन्न हो सकें एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सकें। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नही पाया जाता हैं तो रूपये एक हजार प्रति पाली का अर्थदण्ड सुरक्षा ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाएगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किए गए कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
16. सफल निविदाकार (श्रमिक ठेकेदार) को दुग्ध संघ प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाईम ऑफिस रिकार्ड रखने के लिए उत्तरदायी होगा साथ ही श्रमिक ठेकेदार को मुख्य डेयरी संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय/टाईम ऑफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों की उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किए जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा दुग्ध संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मांगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिक ठेकेदार उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होगे, किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर श्रमिक ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
17. श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर एवं उज्जैन द्वारा समय–समय पर निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि का भुगतान लगाए गए श्रमिकों के मानव दिवस (Man Days) के अनुसार किया जाना अनिवार्य हैं।
18. सफल निविदाकार (श्रमिक ठेकेदार) को कार्य हेतु दुग्ध संघ प्रबंधन संघ परिसर में उचित स्थान उपलब्ध कराएगे। दुग्ध संघ द्वारा बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्निचर प्रदाय किया जाएगा।
19. अनुबंध अवधि में श्रमिक ठेकेदार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्य पर नही ले सकेगें। साथ ही श्रमिक ठेका, सुरक्षा ठेका के अंतर्गत कार्य नही करेगें।
20. निविदाकार द्वारा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

21. यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटिवश अथवा झूठी जानकारी दी जाती हैं तो उसकी निविदा अमान्य होगी एवं निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत करने पर ऐसी निविदा को अमान्य किया जाएगा।
22. अनुबंध अवधि में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तो में संशोधन किया जा सकता हैं अथवा नवीन शर्तो को जोड़ा जा सकता हैं। यदि परिस्थितियां/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तो में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा।
23. अनुबंध अवधि में यदि यह ज्ञात होता हैं कि श्रमिक ठेकेदार को पूर्व में किसी भी संस्था द्वारा ब्लेकलिस्ट किया गया हैं अथवा अनुबंध अवधि में यह ज्ञात होता है कि श्रमिक ठेकेदार को पूर्व के तीन वित्तीय वर्षो (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में किसी भी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्ट किया गया तो ऐसी स्थिति में श्रमिक ठेकेदार की सुरक्षा निधि एवं ईएमडी राशि राजसात की जाएगी।
24. दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा एमपीसीडीएफ एवं प्रदेश के सभी सहकारी दुग्ध संघों भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड/जबलपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही सफल निविदाकार (एल–1) को कार्य आदेश जारी किया जाएगा। यदि उक्त संस्थाओं द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया जाता हैं तो ऐसी स्थिति में सफल निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
25. इसी प्रकार सफल निविदाकार द्वारा किसी अन्य प्राइवेट अथवा शासकीय संस्थाओं में ठेका संचालित किया जा रहा हैं अथवा किया गया हैं तो उसे कार्यादेश प्राप्त करने के पूर्व दुग्ध संघ प्रबंधन को लिखित में जानकारी देनी होगी। दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा संबंधित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा तदउपरांत ही कार्यादेश जारी किया जाएगा। यदि उक्त संस्थाओं द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया जाता हैं तो ऐसी स्थिति में सफल निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
26. किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
27. निविदा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिए जाने की स्थिति में सफल निविदाकार को एक माह की समयसीमा में कार्य प्रारंभ नही करने/सुरक्षा निधि राशि जमा नही करने/अनुबंध नही करने पर उसकी दुग्ध संघ में जमा ईएमडी राशि राजसात कर ली जाएगी।
28. प्रतिभागी निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व दुग्ध संघ परिसर का भ्रमण कर सकते हैं।
29. सफल निविदाकर की अनुबंध अवधि तीन वर्षो हेतु प्रभावशील होगी। तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात कार्य संतोषप्रद होने पर एक–एक वर्ष कर कुल दो वर्षो हेतु आपसी सहमति से पूर्व में अनुमोदित दरों व अनुबंध की समान शर्तो पर अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
30. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सफल निविदाकार को दुग्ध संघ से अनुबंध पत्र का प्रारूप प्राप्त करना होगा। जिसे सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
31. अनुबंध की शर्तो कें अंतर्गत किसी भी वाद–विवाद के संबंध में सभी वैधानिक कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकार उज्जैन स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।
32. प्रतिभागी निविदाकार यदि मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों के दुग्ध संघ एवं म.प्र. के एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों में श्रमिक ठेकेदार के रूप में कार्यरत है अथवा उसके द्वारा पूर्व में कभी भी कार्य किया गया है तो उसे निविदा के साथ संबंधित संस्थानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसकी निविदा अमान्य होगी।
33. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें (टाई ब्रेकिंग नियम) प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।

34. <u>ठेके पर श्रमिककर्मी रखे जाने हेतु सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार के लिए नियम व शर्ते</u>

34.1 प्रत्येक माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिक की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

34.2 प्रदाय किए गए श्रमिक, श्रमिक ठेकेदार के कर्मचारी होगे वे उज्जैन दुग्ध संघ के कर्मचारी नही होगे।

34.3 श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध अवधि में निविदा में स्वीकृत दर के अनुसार ही रहेगी।

34.4 श्रमिक ठेकेदार अनुबंध अवधि न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा, न ही निविदा को Sublet कर सकेगा एवं न ही ठेके को हस्तांतरित कर सकेगा। यदि अनुबंध अवधि में किसी भी समय उक्त में से किसी भी प्रकार की शिकायत सही पाई जाती हैं तो ऐसी निविदा निरस्त कर ठेकेदार की सुरक्षा निधि राजसात कर उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जाएगा।

35. <u>श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य संपादन हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं दायित्व –</u>

35.1 उज्जैन डेयरी प्लांट परिसर/संबंद्ध दुग्ध शीतकेन्द्रों में केन/क्रेट/ढक्कन की चोरी, पिलफ्रेज किसी भी प्रकार की संपत्ति की चोरी न हो इसकी जवाबदारी हेतु विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी।

क. केन/क्रेट/ढक्कन निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डेयरी डॉक, स्टोर या स्टोर डॉक) व्यवस्थित रूप से रखी जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण निगरानी श्रमिक ठेकेदार व सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं बिना गेटपास या इण्डेंट/रिटर्न स्लीप से कोई भी सामान/क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डेयरी डॉक से या स्टोर से बाहर नही ले जाया जाए एवं न ही अन्य प्रायोजनों में उपयोग में लाया जाए।

ख. केन/क्रेट/ढक्कन की गणना करते समय श्रमिक ठेकेदार को सूचित किया जाएगा इस हेतु उन्हे अपना प्रतिनिधि देना अनिवार्य हैं एवं संबंधित डॉक/स्टोर पर गणना के समय सभी प्रकार की टूटी–फूटी क्रेट/ढक्कन/केन सम्मिलित किए जाएगे।

ग. डेयरी डॉक से केन/क्रेट/ढक्कन, डेयरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु श्रमिक ठेकेदार के प्रतिनिधि विपणन शाखा तथा उत्पादन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होगे। एक रजिस्टर विपणन शाखा के कर्मचारी तथा एक रजिस्टर उत्पादन शाखा के कर्मचारी द्वारा रखा जाएगा। (क्रेट एनकाउंटर रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर रखा जाएगा।

उपरोक्त बाहर गए केन/क्रेट/ढक्कन, डेयरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किए जाएगे। साथ ही डेयरी प्लांट में केन/क्रेट/ढक्कन की वापसी रिकार्ड विपणन एवं संयंत्र शाखा अपने रिकार्ड में रखेगें। इन्द्राज अंकों एवं शब्दों में दोनो ही तरीकों से अंकित होगे। संबंधित पक्ष अपने पूर्ण हस्ताक्षर मय दिनांक के करेगे।

35.2 श्रमिक ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टोर एवं उसके अन्दर या बाहर रखी सामग्री को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुचे अन्यथा आर्थिक दण्ड दुग्ध संघ प्रबंधन के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।

35.3 प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।

35.4 श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाए गए श्रमिक ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेगें एवं उन्हे प्रबंधन की सेवा व शर्तो का पालन करते हुए कार्य करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नही लेगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन की सदस्यता लेता हैं या दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता हैं या संयंत्र को बंद कराता हैं या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहिनता में लिप्त पाया जाता हैं तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त करने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से ठेकेदार की होगी। दोषी पाए गए श्रमिक को पुनः कार्य पर नही रखा जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक, प्रतिदिन राशि रू.1000/–का

अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जाएगा। जिसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयकों से की जाएगी। यदि ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नही किया जाता है व अनुबंध की शर्तो का पालन नही किया जाता हैं तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जाएगा तथा उसकी दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जाएगी।

35.5 मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों/कार्यालयीन परिसरों में मदिरापान/धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाखू इत्यादि का उपयोग करते हुए पाए जाने पर श्रमिक ठेकेदार के उपर रू.500/-प्रति श्रमिक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। पुर्नरावृत्ति पाए जाने की स्थिति में श्रमिक को भविष्य में कार्य पर नही लिया जाएगा।

35.6 श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, बिन्दी, छाता, काला चश्मा पहनकर कार्य नही करेगा, अन्यथा रू.100/-प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।

35.7 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में कार्य स्थल पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

35.8 श्रमिकों द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाए जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर श्रमिक ठेकेदार को उक्त श्रमिकों से उनका परिचय पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं के पास रखना होगा एवं आवश्यकता होने पर दुग्ध संघ में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

35.9 श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी श्रमिक से गलती से या असावधानी से संघ की संपत्ति/मशीनरी/उपकरणों की क्षति/टूट-फूट/नुकसान होने पर मरम्मत अथवा नुकसान की लागत श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।

36. उपलब्ध श्रमिक कर्मियों के लिए नियम व शर्ते-

36.1 प्रत्येक श्रमिक के लिए 8 घण्टे का कार्य अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाए गए श्रमिक कार्य के दौरान अनुशासित रहेगे एवं उन्हे प्रबंधन की सेवा शर्तो का पालन करना पड़ेगा।

36.2 संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बॉटल, बेग इत्यादि लेकर प्रवेश नही कर सकेगा। दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा। अन्यथा रू.100/-प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जाएगा।

36.3 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मिनी डेयरी संयंत्र अथवा दुग्ध शीतकेन्द्र पर श्रमिकों की ड्यूटी शिफ्ट में कार्य सुविधा एवं मांग अनुसार लगाई जाती हैं इसके अतिरिक्त शासकीय अवकाश एवं त्यौहार पर भी मांग के अनुसार कार्य के सुचारू संचालन हेतु श्रमिक उपलब्ध कराए जाने होगे। उपरोक्त अवकाश दिवस में अतिरिक्त श्रमिक उपलब्ध कराने पर अनुमोदित दरों पर ही भुगतान किया जाएगा।

36.4 अनुबंधित श्रमिक के उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में प्रवेश एवं निर्गम बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होगा।

37. श्रमिकों को मजदुरी एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान संबंधी शर्त -

37.1 श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक माह की 15 तारीख के पूर्व श्रमिकों को वेतन भुगतान करना होगा, एवं इसी माह की 05 तारीख तक गत् माह किये गये कार्यो/लगाये श्रमिकों का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर शाखावार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रूप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा, देयकों के साथ मुख्य पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक हैं। ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया हैं, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये प्रस्तुत किया जाता हैं तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख के पूर्व प्रबंधन की शर्तो के अंतर्गत किया जावेगा।

देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में **(बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रदर्श 01 के अनुसार)** ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य हैं, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैं। श्रमिकों के परिश्रामिक के भुगतान हेतु कोई अग्रिम राशि दुग्ध संघ द्वारा नही दिया जावेगा। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर देयक राशि का 25 प्रतिशत आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसकें विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ईपीएफ नं., यूएएन नं., ईएसआई नं. एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।

श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि औपचारिकताओं का परिपालन नही किया जाता हैं, तो दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का श्रमिकों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता हैं (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता हैं) तो उसकी पूर्ण जबावदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नही रहेगा।

श्रमिक ठेकेदार द्वारा ई.पी.एफ., ई.एस.आई. व जीएसटी के जमा चालानों के साथ ठेका श्रमिक की सत्यापित सूची जमा किये जाने के उपरांत ही देयकों का भुगतान किया जायेगा।

37.2 श्रमिकों का ईपीएफ, ईएसआई, सुरक्षा कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की सम्पूर्ण जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौत्रा समय पर जमा करने की जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।

37.3 श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जाएगा।

37.4 श्रमिक ठेकेदार को श्रम नियमानुसार श्रमिकों को सप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश के ओव्हर टाइम का भुगतान करना होगा।

37.5 श्रमिकों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि श्रमिक ठेकेदार विफल हो जाता हैं या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नही करता हैं तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि श्रमिक ठेकेदार की सुरक्षा निधि राशि से या देय योग्य राशि में से दुग्ध संघ श्रमिक ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या अधिक राशि होगी तो श्रमिक ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भाति वसूल की जाएगी।

37.6 यदि किसी माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नही किए जाते हैं तो श्रमिक ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नही किया जाएगा।

37.7 श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी श्रमिकों को बैंक अंकाउट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक अंकाउट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटीपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। प्रबंधन इस संबंध में जवाबदार नही होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों को बैंक खाते खुलवाकर दुग्ध संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जाएगी।

37.8 श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रमिक ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जाएगी, जिसकी एक प्रति श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। अन्यथा आर्थिक दण्ड रू.1000/—प्रतिमाह अधिरोपित होगा।

37.9 श्रमिक ठेकेदार के देयकों से आयकर का कटौत्रा लागू दरों के अनुसार किया जावेगा एवं उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर के लिए टीडीएस का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

37.10 श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरूद्ध नियमानुसार जमा योग्य राशि जीएसटी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध संघ स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानिक समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे अन्यथा की स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू. 50000/–प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

37.11 श्रमिक ठेकेदार प्रतिमाह के देयकों का भुगतान पूर्व उसे श्रमिक कर्मचारियों के प्रतिमाह के भुगतान किए गए सेलरी के भुगतान की सैलरी स्लीप, श्रमिक कर्मचारियों के सेलरी से ई.पी.एफ. राशि का कटौत्रा कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा किए गए ई.पी.एफ की प्रति एवं श्रमिक कर्मचारियों की प्रतिमाह ई. एस.आई की प्रति दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। तदउपरांत ही निविदाकार के प्रतिमाह के भुगतान किया जाएगा।

37.12 श्रमिक ठेकेदार को देयक प्रतिमाह के 15 तारीख के पूर्व दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।

38. <u>कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए श्रमिकों के संबंध में श्रमिक ठेकेदार के दायित्व–</u>

38.1 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए समस्त श्रमिकों के परिचय पत्र श्रमिकों के कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में श्रमिक ठेकेदार को अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ में उपलब्ध कराने होगें एवं श्रमिकों का पुलिस वेरिफिकेशन कार्य में रखे जाने के पूर्व कराया जाना अनिवार्य हैं। आवश्यकता होने पर श्रमिकों से संबधित दस्तावेज जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड व अन्य वांछित दस्तावेज प्रबंधन के समक्ष श्रमिक ठेकेदार को प्रस्तुत करने होगें।

38.2 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए समस्त श्रमिकों के हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड इत्यादि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना उसे अनिवार्य होगा एवं व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा व दुग्ध संघ द्वारा मांग करने के स्थिति में उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

38.3 श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह में, श्रमिक ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए समस्त श्रमिकों (पुरूष एवं महिला) को प्रतिवर्ष एक निश्चित रंग की दो गणवेश (शर्ट, पेंट, एक जोड़ी जूते इत्यादि) अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नही होते हैं तो रू.100/–प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जाएगा। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त श्रमिकों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नही किया जाता हैं तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति श्रमिक राशि रू.1500/–के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जाएगी तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने समस्त श्रमिकों को गणवेश प्रदाय किए जाने के पश्चात ही उक्त राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को किया जा सकेगा।

38.4 निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिकों का ईएसआई कार्ड बनवाकर कार्यादेश दिनांक से या नियुक्ति दिनांक से एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाए जाने पर प्रत्येक श्रमिक राशि रू.1000/–तक की पेनल्टी श्रमिक ठेकेदार पर लगाई जाएगी। यदि श्रमिक ठेकेदार उज्जैन शहर से बाहर के हैं तो उन्हे अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा उज्जैन कार्यालय का Subcode तत्काल लेना आवश्यक होगा जिससे की श्रमिकों के दुर्घटना ग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ उसे प्राप्त हो सकें तथा चिकित्सा अवकाश की अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिक ठेकेदार के द्वारा किया जाना होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का काटौत्रा श्रमिक ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित श्रमिकों को भुगतान किया जायेगा।

38.5 श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में सामान्यतः एक से अधिक पाली में निरन्तर कार्य पर नही रखा जा सकता हैं। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिकों की पाली नियमानुसार बदले। ऐसा नही पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

38.6 श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न कराये। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी श्रमिक ठेकेदार को करना होगी।

38.7 श्रमिक ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि श्रमिक कार्य हेतु उपलब्ध कराए जा रहे श्रमिकों (उच्च कुशल/कुशल/अर्धकुशल/अकुशल) निविदा में निर्धारित शर्तो व मापदण्डों के अनुरूप हो।

38.8 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए प्रत्येक श्रमिकों का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन रिकार्ड हेतु उसे दुग्ध संघ में उपलब्ध कराया जाएगा।

38.9 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा कार्य पर रखे गए प्रत्येक श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा एवं उसकी एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

38.10 यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता हैं तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।

38.11 श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न विवाद/समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।

38.12 किसी श्रमिक के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर श्रमिक ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापना उपलब्ध कराना होगा।

38.13 श्रमिक ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 15 दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो उसके द्वारा नियोजित किए गए हैं के लिए वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कंपनी से प्रति श्रमिक रू.100000/–(एक लाख रूपये) की दुर्घटना समूह पालिसी लेनी होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पालिसी का श्रमिक ठेकेदार को अनुबंध अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी हैं। अनुबंध अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरन्त कराना होगा। इस हेतु बीमा पालिसी की प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जाएगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसी स्थिति में वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चो आदि का पूर्ण व्यय श्रमिक ठेकेदार को देना होगा। इस संबंध में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

38.14 श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होगे। श्रमिकों के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उसके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज नही हो। यदि कोई श्रमिक मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करते, अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करते पाया जाता है अथवा दुग्ध संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता हैं तो श्रमिक ठेकेदार को ऐसे श्रमिक को तत्काल कार्य से पृथक करना होगा। श्रमिक ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक प्रवृत्ति, सजायाफ्ता, असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर नही रहें। अगर ऐसा पाया जाता हैं तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किए जाने पर प्रति श्रमिक राशि रू.1000/–का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाएगा।

38.15 प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जांच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जांच कराना अनिवार्य होगा।) तथा तद्संबंधि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाए गए श्रमिकों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एन्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जाएगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूट तथा कोरोना की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नही होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता हैं तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधाएं ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होगी। ऐसा नही करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो उसकी राशि श्रमिक ठेकेदार से वसूली योग्य होगी तथा आर्थिक दण्ड राशि रू. 5000/–प्रति श्रमिक भी अधिरोपित किया जाएगा।

38.16 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा किसी भी कारणवश किसी भी श्रमिक को कार्य से पृथक किया जाता हैं अथवा नए श्रमिक रखे जाते हैं तो इसकी पूर्व सूचना एवं अनुमति श्रमिक ठेकेदार को दुग्ध संघ से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसा नही करते पाए जाने पर दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरि एवं श्रमिक ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

38.17 श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिकों के नाम से ईपीएफ एवं ईएसआई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ईपीएफ/ईएसआई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ईपीएफ/ईएसआई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक सीधा भुगतान किया जा सके। श्रमिक ठेकेदार को दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र तथा मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त शीतकेन्द्र में लगाए गए श्रमिकों का पृथक–पृथक चालान प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ द्वारा उक्त चालानों के माध्यम से जमा की गई श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई कर्मचारी अंशदान की राशि का कटौत्रा श्रमिक ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छःमाही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची के सहित दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ईपीएफ/ईएसआई अंशदान जमा करने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जाना होगी कि ''इस चालान द्वारा माह..............में उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/शीतकेन्द्र को प्रदाय किये गये कुल.............. (संख्या) श्रमिकों का ईपीएफ/ईएसआई अंशदान (..........प्रतिशत) राशि रू.. .... जमा कराया जाना हैं तथा किसी भी श्रमिकों का नाम छोड़ा नही गया हैं, तथा निर्धारित राशि वास्तविक रूप से दर्शाई गई हैं'' इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा। ईपीएफ एवं ईएसआई के कटौत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेखित करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को सर्विस चार्ज का ही भुगतान किया जावेगा।

38.18 श्रमिक ठेकेदार को ईपीएफ एवं ईएसआई अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू. 100000/–प्रतिमाह तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किए जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संबंध में श्रमिक ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नही होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ईपीएफ एवं ईएसआई अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नही किया जाता हैं, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ईपीएफ एवं ईएसआई अंशदान जमा करने में विलंब होता हैं तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।

38.19 श्रमिकों को देय ईपीएफ एवं ईएसआई की राशियों के जनरेट किए गए चालानों में राशि निर्धारित से कम पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित की गई समयसीमा में ईपीएफ/ईएसआई की कम जमा की गई राशि (ब्याज एवं डेमेज राशि सहित) के चालान जनरेट कर, दुग्ध संघ को श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कर राशि जमा कराया जाना अनिवार्य हैं, अन्यथा की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर काली सूची में नाम दर्ज किया जावेगा साथ ही श्रमिक ठेकेदार की जमा सुरक्षा निधि/लंबित देयक/देयकों की राशि रोककर संबंधित संस्थानों को श्रमिक ठेकेदार के ईपीएफ एवं ईएसआई का रजिस्ट्रेशन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

38.20 ठेका श्रमिक (विनियम और उपादान) अधिनियम 1970 के अंतर्गत श्रमिक ठेकेदार के पास दुग्ध संघ में उपलब्ध कराये गये समस्त श्रमिकों की संख्या के अनुसार पंजीयन होना आवश्यक हैं तथा श्रमिक ठेकेदार को प्रतिवर्ष उक्त पंजीयन का नवीनीकरण कराकर दुग्ध संघ कार्यालय में एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

39. शास्ति / अर्थदण्ड–

39.1 श्रमिक ठेकेदार के द्वारा प्री–पैंक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेटस् या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीड़े/मकौड़े/बाल/कॉच का टुकड़ा आदि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही दुग्ध संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।

40. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेंसियों से पृथक–पृथक स्थितिवार की जावेगी :–

40.1 दुग्ध को संबंधित पैकेजिंग मशीन से पैकिंग उपरांत कोल्ड रूम में शिफ्ट करना एवं वितरण के समय संबंधित कोल्ड रूम से वितरण डॉक तक लाने में पूर्णतः श्रमिक ठेकेदार के अंतर्गत कार्यरत् श्रमिक की जवाबदारी होगी। यदि क्रेट्स में निर्धारित क्षमता (1 लीटर के 12 पैकेट, 500 एमएल के 24 पैकेट एवं 200 एमएल के 60 पैकेट) से अधिक दूध पैकेट पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक पाए गए दूध पैकेट की 20 गुना दण्ड श्रमिक ठेकेदार पर लगाया जाएगा।

40.2 वाहन में परिवहन के लिए डेयरी डॉक से वाहन पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डॉक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में ''दूध एवं दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 03 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक/वितरक–सहपरिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूली की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता हैं तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों एजेंसियों (पक्षों) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधन/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं। उक्त के दृष्टिगत् पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

40.3 दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिंग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद दुग्ध संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शाएं गए मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के अधिक पैकेट पाए जाने पर दो एजेंसी यथा वितरक–सहपरिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता व डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबध में पंचनामें पर मुख्य दुग्ध संयंत्र/शीतकेन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दूध एवं दुग्ध पदार्थो की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली दो पार्टियों क्रमशः वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी के समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जाएगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता हैं तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का

पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों एजेंसियों (पक्षों) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधन/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं। उक्त के दृष्टिगत् पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

41. श्रमिक ठेकेदार को सौपा हुआ कार्य संतोषप्रद नही होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा/अनुबंध की शर्तो का समय–समय पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नही करते हैं अथवा आदेश क्रियान्वयन में विलंब होता हैं, सेवा प्रदाय करने में विफल होता हैं तो ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त करते हुए व एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जायेगा। दुग्ध संघ अपने स्त्रोत या अन्य ठेकेदार से श्रमिक को रखा जाकर उनसे कार्य लिया जाकर मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात कार्य पर जो भी खर्च/व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से की जाकर निम्नानुसार अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा। इस हेतु फर्म की सहमति होगी।

क्र.	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि रू.
1	एक माह तक	लागत का 1 प्रतिशत
2	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत
3	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत

42. <u>ठेके पर रखे गये श्रमिकों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की संपत्ति का नुकसान होना–</u>

42.1 श्रमिक ठेकेदार को किसी भी श्रमिक को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने या दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति देना होगी। इस हेतु सम्पूर्ण जबावदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों में उद्भुत विधिक मामलों में भी दुग्ध संघ का दायित्व नही होगा।

42.2. श्रमिक ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।

42.3 श्रमिक ठेकेदार के अधीनस्थ सुरक्षाकर्मियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एवं कारखाना अधिनियम 1948 के समस्त प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

42.4 श्रमिक ठेकेदार को स्थानीय श्रमायुक्त कार्यालय से अनुज्ञा प्राप्त कर समन्वय की कार्यवाही संपादित किया जाना अनिवार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़. उज्जैन म.प्र. 456010

उपरोक्त समस्त शर्ते मैने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्ते स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–	नाम	....
दिनांक :–	पत्राचार हेतु पता	....
		....
	दूरभाष / मो.नं	....

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
''भाव पत्र/दर''

(अ) निम्न मदों में दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्र.	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतन मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ परीक्षण पर व्यय की गई राशि
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रू.100000/–प्रति श्रमिक)
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान

नोटः–

1	श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा निर्धारित, श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि के अनुसार ठेकेदार को संयंत्र में लगाये गये श्रमिकों के मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
2	''अ'' मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) निम्नलिखित मदों में अंशदान राशि जमा कराने का प्रावधान निम्नानुसार होगा :–

क्र.	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
3	जी.एस.टी. अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें, जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा–(केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें। यदि किसी निविदाकार द्वारा ऑफलाइन भाव दर प्रस्तुत की जाती हैं, तो उस निविदाकार को निविदा हेतु अपात्र माना जावेगा)

क्र.	विवरण	समय–समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की सत्यापित देयक राशि पर प्रतिशत में।
1	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	
नोट–सर्विस चार्ज केवल प्रतिशत में ही दर्ज करें। प्रतिशत का केवल अंक लिखे। प्रतिशत का चिन्ह न लगाये।		

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–	नाम	....
दिनांक :–	पत्राचार हेतु पता	....
		....
	दूरभाष / मो.नं	....

कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

श्रमिकों को मजदूरी भुगतान शर्त क्रमांक–31 के अंतर्गत उपकंडिका क्रमांक 31.1 के अनुसार

श्रमिकों का वेतन भुगतान पत्रक, माह............................वर्ष.................

क्र.	श्रमिक का नाम	आधार कार्ड का नम्बर	ई.पी.एफ. खाता नम्बर	ई.एस.आई. खाता नम्बर	मस्टररोल के आधार पर माह में सत्यापित कार्य दिवस	प्रतिदिन भुगतान की दर
1	2	3	4	5	6	7

कुल मासिक वेतन	कर्मचारी के ई.पी. एफ. अंशदान की राशि	कर्मचारी के ई. एस.आई. अंशदान की राशि	अन्य कटौत्रा	कुल कटौत्रा की राशि	बैंक खाता नम्बर व बैंक का नाम	कुल कटौत्रे के उपरांत शेष कुल वेतन
8	9	10	11	12	13	14

कुल.......................... राशि श्रमिकों के वेतन बैंक खातों में भुगतान करने का कष्ट कर बिलों/अग्रिम से समायोजित करें।

नाम....................................

हस्ताक्षर.............................

सील..................................

दिनांक–............................

स्थान.................................

प्रदर्श क्र.''2'

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि मेरे/हमारे द्वारा श्रमिक ठेका कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म........................... जिसका मैं शपथकर्ता हूं।
2. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरूद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय/पुलिस थाने में दर्ज किसी आपराधिक प्रकरण के तारतम्य में सक्षम न्यायालय में केस चालान/चार्जशीट में दोषी नही पाया गया हैं एवं न ही कोई प्रकरण दर्ज/विचाराधीन हैं।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता
नाम–

1. गवाह
   हस्ताक्षर
   नामः–...
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...
2. गवाह
   हस्ताक्षर
   नामः–...
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 से 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

प्रदर्श ''3''

शपथ पत्र का प्रारूप

<u>(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)</u>

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि मेरे/हमारे द्वारा श्रमिक ठेका कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास मैं मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म........................... जिसका में शपथकर्ता हूं।
2. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरूद्ध एम.पी.सी.डी.एफ/इंदौर/भोपाल/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड/जबलपुर सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी./आयकर का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं हैं।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता
नाम–

1. गवाह
   हस्ताक्षर
   नामः–..
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...
2. गवाह
   हस्ताक्षर
   नामः–..
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 से 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

<u>प्रदर्श ''4''</u>

शपथ पत्र का प्रारूप

<u>(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)</u>

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि मेरे/हमारे द्वारा श्रमिक ठेका कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास मैं मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म........................... जिसका में शपथकर्ता हूं।
2. यह कि मुझ शपथकर्ता की फर्म को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ. /दुग्ध संघ द्वारा तीन वित्तीय वर्षो (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में काली सूची में नामांकित नहीं किया गया हैं।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता
नाम–

1. गवाह
   हस्ताक्षर
   नामः–...
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं..
2. गवाह
   हस्ताक्षर
   नामः–...
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं..

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 से 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

क्र.	विवरण	ठेका श्रमिकों की प्रतिदिन अनुमानित संख्या
1	मुख्य संयंत्र, उज्जैन	345
2	दुग्ध संयंत्र, रतलाम	35
3	दुग्ध संयंत्र, मंदसौर	30
4	दुग्ध शीतकेन्द्र, आगर	10
5	दुग्ध शीतकेन्द्र, शाजापुर	05
6	दुग्ध शीतकेन्द्र, शामगढ़	10
7	दुग्ध शीतकेन्द्र, मनासा	10
8	दुग्ध शीतकेन्द्र, आलोट	05
कुल		**450**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़. उज्जैन म.प्र. 456010